डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के विना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 66] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 19 अप्रैल 2001—चैत्र 29, शक 1923

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 8 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2001

विषय-सूची

खण्ड :

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 8 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2001

छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 2001 है.
(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है.
(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी.

वृहत नाम का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) (जो इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' के नाम से निर्दिष्ट है) के वर्तमान वृहत नाम के स्थान पर, निम्नलिखित वृहत नाम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-य घ के प्रयोजन के लिए जिला योजना समिति का गठन करने के लिए अधिनियम.

धारा 3 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

किसी राजस्व जिले या राजस्व जिलों के किसी समूह (ग्रुप) या उसके किसी भाग जो एक ही जिला पंचायत में है, की पंचायतों तथा नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने तथा सम्पूर्ण जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक जिला योजना समिति का गठन किया जावेगा.

धारा 7-क का लोप.

4. मूल अधिनियम की धारा 7-क का लोप किया जाए.

अनुसूची का स्थापन.

5. मूल अधिनियम की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जावे, अर्थात् :—

''अनुसूची

[धारा 4 (1) देखिए]

क्रमांक (1)	समिति का नाम (2)	सदस्यों की संख्या (3)
1.	निम्नलिखित जिलों की जिला योजना समिति 1. कोरिया 2. जशपुर 3. कवर्धा 4. धमतरी 5. कांकेर 6. दंतेवाड़ा	10

(1)	(2)	(3)
2.	निम्नलिखित जिलों की जिला योजना समिति 1. कोरबा 2. महासमुन्द	15
3.	निम्नलिखित जिलों की जिला योजना समिति 1. जांजगीर 2. रायगढ़ 3. राजनांदगांव 4. बस्तर 5. सरगुजा 6. बिलासपुर 7. दुर्ग 8. रायपुर".	20

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

सत्ता के प्रभावी विकेन्द्रीकरण को सुनिश्चित करने की दृष्टि से वर्तमान में मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 के अधीन गठित की गई जिला योजना समिति धारा (7-क) के अधीन राज्य शासन द्वारा आवंटित कृत्यों को भी कर ही है. इस प्रयोजन के लिये मध्यप्रदेश विधान मण्डल ने मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 1999 का अधिनियमन किया था.

अब छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि जिला योजना समिति की वे शक्तियां तथा कृत्य, जो उसे राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 7 (क) के अन्तर्गत आवंटित तथा अधिसूचित की गई है, वापस ले ली जाए.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :
दिनांक : 10 अप्रैल, 2001

रामचंद्र सिंह देव
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-य घ के प्रयोजनों के लिये जिला योजना समितियों का गठन करने और सरकार के कामकाज की मदों के संबंध में राज्य सरकार के कृत्यों का निर्वहन करने तथा उससे आनुषांगिक विषयों के लिये अधिनियम.

3. (1) जिले में की पंचायतों तथा नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने तथा संपूर्ण जिले के लिये विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिये तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करने के लिये जैसी कि उसे राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर सौंपी जाएं, प्रत्येक जिले में एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा. जिला योजना समिति.

समिति की शक्तियां. 7. (क) (1) समिति सरकार के कामकाज के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जैसी कि उसे राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित की जाए अथवा आवंटित की जाएं.

(2) राज्य सरकार वह रीति विहित तथा अधिसूचित कर सकेगी जिसमें ऐसी शक्तियों का, जो समिति को इस प्रकार अधिसूचित या आवंटित है, प्रयोग किया जा सकेगा.

(3) ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय, समिति राज्य सरकार के अधीनस्थ निकाय के रूप में समझी जाएगी और इन शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार की ओर से तथा उसके निमित्त करेगी.

"अनुसूची (धारा 4 (1) देखिए)

अनुक्रमांक (1)	समिति का नाम (2)	सदस्यों की संख्या (3)
(1)	निम्नलिखित जिलों की जिला योजना समिति 1. श्योपुर 2. दतिया 3. उमरिया 4. नीमच 5. हरदा 6. डिंडोरी 7. कोरिया 8. जशपुर 9. कवर्धा 10. धमतरी 11. कांकेर 12. दन्तेवाड़ा	10
(2)	निम्नलिखित जिलों की जिला योजना समिति 1. टीकमगढ़ 2. पन्ना 3. दमोह 4. मंदसौर 5. बड़वानी 6. रायसेन 7. सीहोर 8. होशंगाबाद 9. कटनी 10. नरसिंहपुर 11. मण्डला 12. कोरबा 13. महासमुन्द	15

(1)	(2)	(3)
(3)	निम्नलिखित जिलों की जिला योजना समिति 1. मुरैना 2. भिण्ड 3. ग्वालियर 4. गुना 5. शिवपुरी 6. छतरपुर 7. सतना 8. शहडोल 9. सीधी 10. रतलाम 11. उज्जैन 12. शाजापुर 13. देवास 14. झाबुआ 15. धार 16. खरगौन 17. खण्डवा 18. राजगढ़ 19. विदिशा 20. भोपाल 21. बैतूल 22. बालाघाट 23. छिन्दवाड़ा 24. सिवनी 25. जांजगीर 26. रायगढ़ 27. राजनांदगांव 28. बस्तर 29. सागर 30. रीवा 31. इन्दौर 32. जबलपुर 33. सरगुजा 34. बिलासपुर 35. दुर्ग 36. रायपुर".	20

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 11 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2001

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 को और संशोधन करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम संशोधन अधिनियम 2001 है.

(2) इस संशोधन का विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम की धारा 4 (क) के पश्चात् नया खण्ड 4 (ख) ''प्रत्येक सदस्य को 1000 रुपये प्रतिमाह अर्दली भत्ता दिया जायेगा'' स्थापित की जाय.

(4) मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम की धारा 4 (ख) के पश्चात् नया खण्ड 4 (ग) प्रत्येक सदस्य को दैनिक भत्ते के रूप में उसकी पदावधि के दौरान तीन सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक भत्ता दिया जावेगा.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि माननीय विधान सभा सदस्य को अर्दलीय भत्ता प्रदान किया जाय, क्योंकि अर्दली की सुविधा उन्हें अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गई है.

इसके अतिरिक्त माननीय सदस्यों को उनकी पदावधि के दौरान दैनिक भत्ता भी प्रदान किया जाय.

अत: मूल अधिनियम की धारा 4 (ख) स्थापित कराना होगी. जिसमें अर्दलीय भत्ता के रूप में एक हजार रुपये प्रतिमाह एवं धारा 4 (ग) तीन सौ रुपये प्रतिदिन दैनिक भत्ता प्रत्येक सदस्य को प्रदान करने के लिए उक्त मूल अधिनियम में यथोचित रूप से संशोधित किया जाय.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :
दिनांक : 18 अप्रैल, 2001

रविन्द्र चौबे
भारसाधक सदस्य.

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के खण्ड क्रमांक 3 एवं 4 में प्रस्तावित प्रावधान किये जाने के परिणामस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानत: रुपये 75,60,000/- (रुपये पचहत्तर लाख साठ हजार केवल) का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा.

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

उपाबन्ध

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 की धारा 4 (ख) एवं 4 (ग) के सुसंगत उद्धरण

धारा 4 (ख) :— प्रत्येक सदस्य को एक हजार रुपये प्रतिमाह अर्दली भत्ता दिया जावेगा.

धारा 4 (ग) :— प्रत्येक सदस्य को दैनिक भत्ते के रूप में उसकी पदावधि के दौरान तीन सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक भत्ता दिया जायेगा.

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 12 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2001

मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1972 को और संशोधन करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अधिनियम 2001 है.

(2) इस संशोधन का विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1972 की धारा 3 की उपधारा 1 को विलोपित किया जाय.

(4) मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1972 की धारा 3 (3) में "दो सौ रुपये" को विलोपित किया जाय तथा अध्यक्ष को "छै: सौ रुपये" तथा उपाध्यक्ष को "पांच सौ पचास रुपये" स्थापित किया जाय.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को जो सत्कार भत्ता प्राप्त होता है उसे समाप्त किया जाय एवं दैनिक भत्ता वर्तमान में अत्यधिक कम है उसे बढ़ाया जाय.

अत: मूल अधिनियम की धारा 3 (1) में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को सत्कार भत्ते के प्रावधान को विलोपित किया जाय तथा धारा 3 (3) में दैनिक भत्ते की दर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में रखी जाये. अत: दर को बढ़ाने के लिए उक्त मूल अधिनियम में यथोचित रूप से संशोधित किया जाय.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :

दिनांक : 18 अप्रैल, 2001

रविन्द्र चौबे

भारसाधक सदस्य.

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के खण्ड क्रमांक 3 एवं 4 में प्रस्तावित प्रावधान किये जाने के परिणामस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानत: रुपये 2,22,000/- (रुपये दो लाख बाईस हजार केवल) का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा.

''संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित''

उपाबन्ध

मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1972 की धारा 3 (1) एवं 3 (3) के सुसंगत उद्धरण

धारा 3 (1) :— (अध्यक्ष को दो हजार पांच सौ रुपये प्रतिमास सत्कार भत्ता और उपाध्यक्ष को एक हजार पांच सौ रुपये प्रतिमास सत्कार भत्ता दिया जायेगा) विलोपित.

धारा 3 (3) :— अध्यक्ष को उसकी पदावधि के दौरान छै: सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से तथा उपाध्यक्ष को उसकी पदावधि के दौरान पांच सौ पचास रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक भत्ता दिया जायेगा.

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 13 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2001

मध्यप्रदेश विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1980 को और संशोधन करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अधिनियम 2001 है.

(2) इस संशोधन का विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) मध्यप्रदेश विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1980 की धारा 4 की उपधारा 1 को विलोपित किया जाय.

(4) मध्यप्रदेश विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1980 की धारा 4 (3) में "दो सौ रुपये" के स्थान पर "छै: सौ रुपये" को स्थापित किया जाय.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष को जो सत्कार भत्ता प्राप्त होता है उसे समाप्त किया जाय एवं दैनिक भत्ता वर्तमान में अत्यधिक कम है उसे बढ़ाया जाय.

अत: मूल अधिनियम की धारा 4 (1) में विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष को सत्कार भत्ते के प्रावधान को विलोपित किया जाय तथा धारा 4 (3) में दैनिक भत्ते की दर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में रखी जाये. अत: दर को बढ़ाने के लिए उक्त मूल अधिनियम में यथोचित रूप से संशोधित किया जाय.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रविन्द्र चौबे
भारसाधक सदस्य.

रायपुर :
दिनांक : 18 अप्रैल, 2001

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के खण्ड क्रमांक 3 एवं 4 में प्रस्तावित प्रावधान किये जाने के परिणामस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानतः रुपये 1,14,000/- (रुपये एक लाख चौदह हजार केवल) का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा.

''संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित''

उपाबन्ध

मध्यप्रदेश विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1980 की धारा 4 (1) एवं 4 (3) के सुसंगत उद्धरण

धारा 4 (1) :— [नेता प्रतिपक्ष को दो हजार पांच सौ रुपये प्रतिमास सत्कार भत्ता (समच्युअरी अलाउन्स) दिया जायेगा] विलोपित.

धारा 4 (3) :— नेता प्रतिपक्ष को उसकी पदावधि के दौरान छैः सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक भत्ता दिया जायेगा.

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 14 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2001

मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1972 को और संशोधन करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अधिनियम 2001 है.

(2) इस संशोधन का विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1972 (जो इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 4 की उपधारा (1) को विलोपित किया जाय.

(4) मूल अधिनियम की धारा 4 (3) में निम्नलिखित शब्दों, अर्थात् :—

"प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री और संसदीय सचिव को उसकी पदावधि के दौरान दो सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से"

के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किये जायें, अर्थात् :—

"मुख्यमंत्री को छै: सौ पच्यासी रुपये प्रतिदिन, मंत्री को छै: सौ रुपये प्रतिदिन, राज्यमंत्री को पांच सौ रुपये प्रतिदिन, उपमंत्री को पांच सौ रुपये प्रतिदिन एवं संसदीय सचिव को चार सौ पचास रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनकी पदावधि के दौरान".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री एवं संसदीय सचिव को जो सत्कार भत्ता प्राप्त होता है उसे समाप्त किया जाय एवं दैनिक भत्ता वर्तमान में अत्यधिक कम है उसे बढ़ाया जाय.

अत: मूल अधिनियम की धारा 4 (1) में मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री एवं संसदीय सचिव को सत्कार भत्ते के प्रावधान को विलोपित किया जाय तथा धारा 4 (3) में दैनिक भत्ते की दर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में रखी जाये. अत: दर को बढ़ाने के लिये उक्त मूल अधिनियम में यथोचित रूप से संशोधित किया जाय.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

कृष्ण कुमार गुप्ता
भारसाधक सदस्य.

रायपुर :
दिनांक : 18 अप्रैल, 2001

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के खण्ड क्रमांक 3 एवं 4 में प्रस्तावित प्रावधान किये जाने के परिणामस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानत: रुपये 29,97,075/- (रुपये उन्तीस लाख सन्तानबे हजार पचहत्तर) का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा.

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

उपाबन्ध

मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1972 की धारा 4 (1) एवं 4 (3) के सुसंगत उद्धरण

धारा 4 (1) :— (मुख्यमंत्री को पांच हजार पांच सौ रुपये प्रतिमाह सत्कार भत्ता, प्रत्येक मंत्री को दो हजार पांच सौ रुपये प्रतिमाह सत्कार भत्ता, प्रत्येक राज्यमंत्री को एक हजार पांच सौ रुपये प्रतिमाह सत्कार भत्ता और प्रत्येक उपमंत्री तथा संसदीय सचिव को पांच सौ रुपये प्रतिमाह सत्कार भत्ता दिया जायेगा) विलोपित.

धारा 4 (3) :— मुख्यमंत्री को छै: सौ पच्यासी रुपये प्रतिदिन, प्रत्येक मंत्री को छै: सौ रुपये प्रतिदिन, प्रत्येक राज्य मंत्री को पांच सौ पचास रुपये प्रतिदिन, उप मंत्री को पांच सौ रुपये प्रतिदिन एवं संसदीय सचिव को चार सौ पचास रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसकी पदावधि के दौरान दैनिक भत्ता दिया जावेगा.

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.